कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- siqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

क्र. 527/187/आउशि /गु.प्र./2024 नवा रायपुर, दिनांक 07/06/2024

प्रति,

कुलसचिव
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

पावती क्र 1583
दिनांक 5-2-2025
महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश।

संदर्भ :– छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 3–32/2019/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.03.2024।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किया जा रहा है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जा चुका है।

शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जा रहे है जिन्हें समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अवगत कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में गठित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ट" की होगी।

1. समस्त स्वशासी महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल से ही की जायेगी।
2. शैक्षणिक सत्र 2024–25 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये बी.ए. बी.एस.सी. बी.एस.सी (गृह विज्ञान), बी.कॉम, बीसीए एवं बीबीए के पाठ्यक्रमों (प्रोग्राम) के लिये ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में एबिलिटी एन्हासमेंट कोर्स (AEC) का संचालन निम्नानुसार किया जाना है।

पाठ्यक्रम (प्रोग्राम)	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर
बी.कॉम एवं बीबीए	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)	हिन्दी भाषा (AEC 03)
बी.एस.सी एवं बीसीए	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)	हिन्दी भाषा (AEC 03)	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)
बी.ए एवं बी.एस.सी (गृह विज्ञान)	हिन्दी भाषा (AEC 03)	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)

4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विगत सत्र से संचालित हो रहे समस्त संकायों के अन्तर्गत प्रचलित विषय (डिसीप्लीन) पूर्ववत् संचालित होंगे किन्तु विषय संयोजन (डिसीप्लीन काम्बीनेशन) हेतु संकायवार सूची विभाग द्वारा शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
5. वर्तमान में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित संकायो के अन्तर्गत उपलब्ध विषय शिक्षक/संसाधन के अनुरूप किसी संकाय के विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय के विषय (डिसीप्लीन) का चयन "जेनेरिक–इलेक्टिव" के रूप में किया जाना है, जिसका संकायवार पूल शीघ्र प्रेषित किया जायेगा। डॉ. ई. पी. चेलक संयोजक NEP

05.02.2025

क्रमशः...2...

Mahl 15.02.2025

Scanned with CamScanner